बिरसा मुंडा और उलगुलान — प्रमुख तथ्य

इतिहास और संस्कृति (प्रारंभिक परीक्षा: सामान्य अध्ययन) | समाचार संदर्भ: 9 जून 2026 | प्रकाशित: 23 अक्टूबर 2026

खबरों में क्यों

9 जून 2026 को बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि थी। इस मौके पर उनके संघर्ष और जनजातीय अधिकारों को याद किया गया। इससे पहले मई में हुए एक बड़े जनजातीय आयोजन और उसके बाद की चर्चाओं में आदिवासी पहचान, धर्म और अनुसूचित जनजाति का दर्जा जैसे प्रश्न उठे, और अलग-अलग पक्षों ने बिरसा की विरासत की अपनी-अपनी व्याख्या की।

ऐसे समय में इतिहास और आज की नीतिगत मांगों को अलग रखना जरूरी हो जाता है। बिरसा का आंदोलन सिर्फ खेती का मामला नहीं था, और उसे आज के किसी एक राजनीतिक विवाद में पूरी तरह समेटना भी उचित नहीं। उसमें जमीन, आजीविका, सामाजिक सुधार, सांस्कृतिक सम्मान और औपनिवेशिक सत्ता से मुक्ति के सवाल एक-दूसरे से जुड़े हुए थे।

पहले समझें: उलगुलान क्या था?

उलगुलान का अर्थ है बड़ी उथल-पुथल या विद्रोह। छोटानागपुर क्षेत्र में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए जन-प्रतिरोध को इसी नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन औपनिवेशिक शासन और स्थानीय शोषणकारी व्यवस्थाओं के खिलाफ था। इसकी जड़ों में भूमि-अधिकार छिनने, बेगार, कर्ज के बोझ और समुदाय के जीवन पर बाहरी नियंत्रण का अनुभव था।

पहले समझें: बिरसा मुंडा और उलगुलान

बिरसा मुंडा छोटानागपुर की मुंडा जनजाति के नेता थे। 1899-1900 में उन्होंने अंग्रेजी शासन, जमीन के हस्तांतरण और बाहरी शोषण (जिन्हें 'दिकु' कहा जाता था) के विरुद्ध 'उलगुलान' का नेतृत्व किया। लोग उन्हें 'भगवान बिरसा' और 'धरती आबा' (पृथ्वी के पिता) कहते हैं। 1900 में गिरफ्तारी के बाद जेल में उनका निधन हो गया। उनकी जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है, जो इसी स्मृति से जुड़ा है।

मुख्य तथ्य

- **बिरसा मुंडा (1875–1900):** छोटानागपुर (आज का झारखंड) के मुंडा जनजाति के नेता; ‘भगवान बिरसा’ और ‘धरती आबा’ के नाम से पुकारे जाते हैं।
- **उलगुलान (1899–1900):** मुंडा विद्रोह; ‘दिकु’ (बाहरी शोषक) के विरुद्ध जमीन और स्वशासन की लड़ाई।
- **‘दिकु’:** जमींदार, ठेकेदार, साहूकार और अंग्रेजी शासन जैसे बाहरी शोषणकारी तत्वों के लिए मुंडा शब्द।
- **मुख्य माँगें:** जमीन का अधिकार, खुटकट्टी/भुइहारी भूमि-अधिकारों की रक्षा, और ‘मुंडा राज’ (स्वशासन)।
- **परिणाम:** बिरसा 1900 में गिरफ्तार, जेल में निधन; बाद में छोटानागपुर टेनेंसी अधिनियम 1908 जैसी भूमि-संरक्षण व्यवस्था में उसकी छाप।
- **पहचान की बहस:** धार्मिक/संप्रदायिक रूप बनाम स्वतंत्रता-संग्राम के जनजातीय नेता — इतिहास में दोनों पक्ष साक्ष्य के साथ पढ़े जाने चाहिए।

परीक्षा की दृष्टि से

प्रारंभिक परीक्षा के लिए याद रखने योग्य: बिरसा मुंडा की पहचान, उलगुलान का अर्थ और समय, ‘दिकु’ का संदर्भ और जनजातीय गौरव दिवस। छोटानागपुर की पृष्ठभूमि, संघर्ष का क्रम और आंदोलन के प्रमाण-प्रश्नों का विश्लेषण मुख्य परीक्षा लेख में (लिंक नीचे स्रोत में)।

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास:

प्रश्न 1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. बिरसा मुंडा का आंदोलन छोटानागपुर क्षेत्र में भूमि-अधिकार और औपनिवेशिक शासन के विरोध से जुड़ा था।
2. बिरसा के संदेश में सामाजिक सुधार का कोई स्थान नहीं था।
3. अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अधिसूचित सूची में जनजाति को सम्मिलित करने या निकालने के लिए संसद कानून बना सकती है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर और कारण देखें
उत्तर: (b)।
आंदोलन का संबंध भूमि और राजनीतिक अधिकारों से था तथा सामाजिक सुधार भी उसका हिस्सा था। अनुच्छेद 342(2) संसद को सूची में सम्मिलित या बाहर करने के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है।

स्रोत और सीमाएँ

- एनसीईआरटी: जनजातियां, दिकु और बिरसा आंदोलन
- एनसीईआरटी: बिरसा मुंडा का जीवन और आंदोलन
- 9 जून 2026 की आधिकारिक श्रद्धांजलि
- जून 2026: बिरसा की विरासत पर चर्चा
- मई-जून 2026: आदिवासी पहचान और डीलिस्टिंग की बहस
- भारत का संविधान: अनुच्छेद 342
- **सीमाएँ:** कुछ रिपोर्टों में 1773 स्थायी बंदोबस्त/1885 गिरफ्तारी जैसी तिथियों के अंतर हैं; विवादित तिथियाँ इस लेख में नहीं दी गईं। डोमबारी घटना की तारीख में स्रोतों का अंतर है, इसलिए सटीक घटना-तिथि नहीं दी गई। हताहतों की कुल संख्या या विषाक्तता का निष्कर्ष नहीं दिया गया। CNT अधिनियम के अंतर्गत हस्तांतरण के सटीक नियम यहाँ विस्तार से नहीं दिए गए; कोई कानूनी सलाह नहीं। अनुच्छेद 342 मूल संविधान पाठ के अनुसार बताया गया है; किसी व्यक्ति की स्वतः पात्रता का दावा नहीं।

इसी विषय का मुख्य परीक्षा (विश्लेषण) लेख: बिरसा मुंडा: उलगुलान, जमीन और स्वशासन का इतिहास